न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

ज0वि0 निगरानी संख्या–120/2012–13 अन्तर्गत धारा–333 उ0प्र0जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम

श्री सुल्हड़ बनाम उप जिलाधिकारी, लक्सर आदि

बावत मौजा भिक्कमपुर जीतपुर परगना ज्वालापुर जनपद हरिद्वार
खसरा संख्या– 396 मि0 0.410है0

उपस्थित – **श्री पी0एस0 जंगपांगी,** आई0ए0एस0 सदस्य, न्यायिक

श्री एस0ओ0 शर्मा अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
श्री सुबोध शर्मा जिला शासकीय अधिवक्ता उत्तरदातागण

निर्णय

यह निगरानी सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, लक्सर, जनपद हरिद्वार द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र संख्या–3/2012–13 सुल्हड़ बनाम ग्रामसभा–मूल वाद संख्या–256/2001 ग्रामसभा बनाम सुल्हड़ आदि–अन्तर्गत धारा–202 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम मौजा भिक्कमपुर जीतपुर परगना ज्वालापुर में पारित निर्णयादेश दिनांक 28–2–2013 के विरूद्ध योजित की गयी है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 02–03–2001 को हल्का लेखपाल द्वारा आसामी पट्टा निरस्तीकरण के लिये आख्या इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि सुल्हड़ पुत्र कटेरा निवासी ग्राम भिक्कमपुर जीतपुर, परगना ज्वालापुर के नाम खसरा संख्या–396 मि0 0.410है0 आसामी पट्टा 1377 फसली में जो स्वीकृत किया गया था उसकी अवधि 05 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। उक्त रिपोर्ट को राजस्व निरीक्षक तथा तहसीलदार, लक्सर ने अपनी संस्तुति सहित दिनांक 02–03–2001 को उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, लक्सर को अग्रसारित किया गया जिसके आधार पर उप जिलाधिकारी लक्सर द्वारा आदेश दिनांक 17–09–2001, यह उल्लेख करते हुये कि आसामी पट्टे की अवधि पूर्ण हो चुकी है, अतः जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–202 के अन्तर्गत उपरोक्त पट्टेदार का पट्टा समाप्त किया जाता है पारित किया गया।

आदेश दिनांक 17–09–2001 के विरूद्ध आसामी पट्टेदार सुल्हड़ ने दिनांक 01–09–2012 को वाद पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र सहायक कलेक्टर, लक्सर के न्यायालय में धारा–5 मियाद अधिनियम की प्रार्थना सहित प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि दिनांक 17–09–2001 को जो आदेश पारित किया गया है, वह एकपक्षीय आदेश है, जिसे पारित करने से पूर्व पट्टाधारक को नहीं सुना गया है। विद्वान सहायक कलेक्टर ने पुनर्स्थापन

क्रमशः 2

प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र निराधार, बलहीन तथा अनुमन्य न होने के कारण आदेश दिनांक 28–2–2013 से अस्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्ध वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

यह निगरानी उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में ग्रहण किये जाने के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार आसामी पट्टे का निरसन एक पक्षीय रूप से किया गया है जिसका संज्ञान विलम्ब से होने के कारण वाद पुनर्स्थापन का प्रार्थना पत्र धारा–5 मर्यादा अधिनियम के अन्तर्गत विलम्ब में छूट प्रदान किये जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया जिसे अवर न्यायालय द्वारा अकारण एवं अवैधानिक रूप से अस्वीकृत किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता, देहरादून ने प्रत्युत्तर में यह कहा कि आसामी पट्टा की अवधि अधिकतम 05 वर्ष ही हो सकती है, अतः निगरानीकर्ता के पक्ष में अन्तर्निहित आसामी पट्टा 05 वर्ष से अधिक अवधि के हो जाने के आधार पर स्वतः ही समाप्त हो गया है, फलस्वरूप निगरानी का कोई विधिक आधार नहीं है।

मैंने उपलब्ध अभिलेखों एवं संगत विधिक प्राविधानों का अवलोकन किया। निर्विवाद रूप से निगरानी में अन्तर्निहित भूमि का आसामी पट्टा निगरानीकर्ता को 1377 फसली में किया गया था। यह भी निर्विवादित है कि आसामी पट्टे की अवधि अधिकतम 05 वर्ष ही होती है। वर्तमान प्रकरण में वर्णित आसामी पट्टे के आधार पर निगरानीकर्ता 05 वर्ष से अधिक अवधि तक अन्तर्निहित भूमि में अध्यासित रहा है अर्थात भूमि प्रबन्ध समिति अथवा संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के नियम 176–ए (2) के अनुसार आसामी पट्टे के समापन की कार्यवाही यथासमय नहीं की गयी। आक्षेपित आदेश जिसका प्रभाव आसामी पट्टे के समापन समान है धारा–202 उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अन्तर्गत पारित किया गया है जबकि इस धारा के अन्तर्गत ग्रामसभा अथवा भू–धारक के वाद पर बेदखली आदेशित की जा सकती है। इस प्रकार प्रश्नगत आदेश की व्याख्या आसामी पट्टा के समापन अथवा विवादित भूमि से निगरानीकर्ता की बेदखली या दोनो ही रूप में होना सम्भावित है। तदनुसार वर्णित आदेश में अस्पष्टता विद्यमान है।

निर्विवादित रूप से निगरानी में अन्तर्निहित भूमि राज्य सरकार द्वारा ग्रामसभा के स्वामित्व में की है। तदनुसार बेदखली का वाद ग्रामसभा अथवा राज्य सरकार के वाद पर ही योजित हो सकता है जैसा कि अधिनियम की धारा–202 के प्राविधान से स्पष्ट है। आसामी पट्टे का समापन जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है नियम–176–ए(2) उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अन्तर्गत एवं बेदखली धारा–202 उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधानित है । यह मान भी लिया जाय कि नियमों/अधिनियमों के कुसंयोजन के परे यदि आक्षेपित आदेश की वैधानिकता परखी जाय तो भी आसामी पट्टे का समापन वर्तमान निगरानीकर्ता/आसामी पट्टेदार को सुनकर ही किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप विधितः अनिवार्य

क्रमशः 3

है। आसामी पट्टे का समापन विधितः किये जाने के उपरान्त भी आसामी पट्टेदार द्वारा स्वतः अन्तर्निहित भूमि का अध्यासन हस्तगत अथवा उसका परित्याग न किये जाने की स्थिति में धारा–202 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही ग्रामसभा अथवा राज्य सरकार के वाद पर ही की जा सकती है। तदनुसार विद्वान सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी लक्सर ने एक प्रशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत निगरानी में अन्तर्निहित भूमि के आसामी पट्टे का समापन बिना हितधारक को सुने एवं उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना किया गया है एवं उसके वाद पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया है कि यह पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र 11 वर्ष से भी अधिक अवधि पर प्रस्तुत किया गया है। धारा–5 मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र को भी अकारण अस्वीकार किया गया है क्योंकि यह कहीं भी स्थापित नहीं है कि निगरानीकर्ता को आक्षेपित आदेश अथवा आसामी पट्टा निरसन की कार्यवाही का ज्ञान यथासमय अथवा पूर्व में हो गया था। आसामी पट्टा भी एक भौमिक अधिकार है जिसके समापन से पूर्व उसके हितधारक को सुना जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का तकाजा है। तदनुसार विद्वान सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी लक्सर द्वारा आदेश दिनांक 17–09–2001 के पारण में एवं आक्षेपित आदेश के तहत वाद पुनर्स्थापन प्रार्थना अस्वीकार कर तात्विक एक वैधानिक अनियमितता की गयी है। इस आधार पर आक्षेपित आदेश पोषणीय नहीं है तथा खण्डित होने योग्य है।

आदेश

निगरानी ग्रहण कर स्वीकार की जाती है एवं आक्षेपित आदेश तथा आदेश दिनांक 17–09–2001 खण्डित किये जाते है परन्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि विद्वान सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी लक्सर उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियमावली (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के नियम 176–ए (2) के अन्तर्गत विधिवत् पट्टा समापन कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है जिस हेतु निगरानीकर्ता को सुनवाई का अवसर अवश्य प्रदान किया जाना होगा एवं अन्ततः आसामी पट्टा समापन होने की स्थिति में धारा–202 उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन यथा प्राविधानित ग्रामसभा अथवा राज्य सरकार के वाद पर विधिवत् बेदखली की कार्यवाही का विकल्प भी खुला रहेगा।

16/9/13

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य, न्यायिक।

आज दिनांक 16.09.2013 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

16/9/13

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य, न्यायिक।